तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22.5.2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कमठाई में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत सम्मन प्राप्त हुई। वकील वादी अनु.। प्रतिवादी संख्या 1 सख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दलाराम चौधरी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी उपस्थित। वकील प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्प अपील अधिकारी बाड़मेर से रिमाण्ड होकर आया है,जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा भूमिधारी तहसीलदार सिणधरी को निर्देश दिये गये है,कि स्वंय मौके पर जाकर पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादी का एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी स.5 का है,जो मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाया जावें। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने निवेदन किया गया। कि पूर्व में विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की कब्जा वाली भूमि वादी की दर्शित करते हुए एकरतफा अंतिम डिक्री जारी की गई। जिसके विरूद्व माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की तरफ से अपील पेश की गई। जो स्वीकार कर प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के निर्णय अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाया जावें। हमनें उभयपक्ष अधिवक्तओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर ने अपने निर्णय दिनांक 31.7.2017 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 203/2012 में निर्णय व डिकी दिनांक 02.8.2016 को अपास्त कर प्रकरण इस दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलाधीन आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार स्वंय मौके पर जाकर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना कर पुनःविभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावें। एवं पक्षकारान हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने पर सहमत है। एवं

[signature]

कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी

Scanned by CamScanner

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादग्रस्त भूमि के रिकाडर्ड सहखा... है। जिसमें 1/2 हिस्सा वादी का,1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से ... का एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का है। जिसे पक्षकारान अधिवक्ताओं ने स्वीकार भी किया गया है। उपरोक्त विवेचन उपरान्त पक्षकारान का हिस्सेनसुार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सिणधरी स्वंय मौके पर जाकर मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है। एवं माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा भी यह निर्देश प्रदान किये गये है।

लिहाजा वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हूए प्रांरम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम–शक्तिनगर तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 328/37,43,191 क्रमशः रकबा 29–16,118–17,7–15 बीधा कुल रकबा 156–08 बीधा भूमि मे 1/2 हिस्सा वादी का,1/4 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By mets and bounds) विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सिणधरी स्वंय मौके पर जाकर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार सिणधरी को 500/शुल्क पर कमीशनर मुकर्रर किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भेजे। कमीशनर शुल्क वादी मौके पर अदा करेगा। तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हों। तहसीलदार सिणधरी को तहरीर जारी होकर मिसल–विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिणधरी

क्रमांक / वाद / 18 / 1198 दिनांक– 22/8/18

प्रेंषितः– तहसीलदार

सिणधरी

विषय–राजस्व वाद संख्या (पुराने 203 / 12) नये 76 / 2017 अनवान चुतराराम बनाम भीयाराम वगैरह में विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

<u>विभाजन प्रस्ताव भिजवाने की तारीख–08.8.2018</u>

उपरोक्त,विषयान्तर्गत उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22.7.2018 एवं माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 31.7.2017 की प्रतिलिपि सलंग्न भेजकर लेख है कि उक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव दोनों पक्षों के रूबरू तैयार कर भेजें। विभाजन प्रस्ताव तैयार करनें से पूर्व विभाज़न प्रस्ताव तैयार करनें की एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर सम्बन्धित पक्षकारों को जरियें नोटिस / पत्र सूचना दी जावें। तत्पश्चात दोनो पक्षों की उपस्थिति में आप स्वंय मौके पर जाकर विवादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 में दियें गयें प्रावधानों के अनुरूप तैयार कर इस न्यायालय को अपनी स्पष्ट टिप्पणी मय अनुशंसा सहित प्रेषित करावें।

सलंग्न–1 अदालत द्वारा जारी प्रारंभिक डिक्री प्रतिलिपि
2 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय प्रति

सहायक कलक्टर सिणधरी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ) सिणधरी

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–5

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कमठाई

पीठासीन अधिकारीः–...श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

अनवान

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

चुतराराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी शक्तिनगर तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

1.भीयाराम

2.रूगनाथराम

3.तेजाराम पिसरान नेनाराम

4.रूखमों बेवा नेनाराम जाति जाट

5.केहराराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी शक्तिनगर तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

6.मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैक शाखा सिणधरी

7.मैनेजर स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सिणधरी

8.तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः–53.188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :–76/2017(203/12 पुराने)

निर्णय दिनांक :–22.5.2018

वादी की ओर से अनु. अधिवक्ता..की व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से...श्री दलाराम चौधरी अधिवक्ता . की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 22.5.2018 को. श्री अंजुम ताहिर सम्मा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः–वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हूए प्रांरम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम–शक्तिनगर तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 328/37,43,191 कमशः रकबा 29–16,118–17,7–15 बीधा कुल रकबा 156–08 बीधा भूमि मे 1/2 हिस्सा वादी का,1/4 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By mets and bounds) विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सिणधरी स्वंय मौके पर जाकर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार सिणधरी को 500/शुल्क पर कमीशनर मुकर्रर किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भेजे। कमीशनर शुल्क वादी मौके पर अदा करेगा।

यह आज तारीख.22-5-18 .को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner